[श्री हरिकेश बहादुर]

के कुछ कर्मचारियों के भी हाथ होने की आशंका व्यक्त की जाती है। उदाहरण के लिये बस्ती जिले के महुली थाने में एक पत्रकार पर हुआ आक्रमण और देवरिया जिले में एक पत्रकार की हत्या। इस प्रकार सरकारी तंत्र पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करने में पूर्णतः असफल है। मैं गृह मंत्री जी से अपील कहुंगा कि वे इन घटनाओं की सी० बी० आई० द्वारा जांच करायें और सम्पूर्ण देश में पत्रकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी कदम उठायें ताकि अपराधियों को पकडा और दंडित किया जासके।

(iv) DIFFICULTIES FACED BY SUGARCANE GROWERS

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर): उत्तर बिहार की कई चीनी मिलों में ईख की पेराई बहुत बाद में आरंभ हुई है। समस्तीपुर, लोहट सकड़ों आदि मिलों में भी पेराई बहुत देर से आरंभ की है। उस पर तुर्रा यह है कि मशीनो के आधुनिकीकरण के अभाव में कई मिले हफ्ते में कई दिन खराब हो जाने के कारण मरम्मत के लिये बन्द कर दी जाती हैं। परिणामस्वरूप गाड़ी पर लदा ईख तौल की प्रतीक्षा में कई दिन तक खड़ा सूखता रहता है। ईख तो सूखता ही है, गाड़ी के बैल तथा गाड़ीवान भी परेशान रहते हैं। तौल कांटे पर ईख बबाने वाले से भी रक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं रहता। मिलों की देर से पेराई शुरू करने और बीमार मशीनों के कारण खेत में गन्ने सूख रहे हैं और ऐसा लगता है कि इस वर्ष खड़ी फसल को खेत में ही जलाने के लिये किसानों को बाध्य होना पडा। फसल को सूखते देख किसान मिलों को ईख देने की पुर्जी पाने के लिये अलग से परेशान रहता है। उसे मुसीबत में देखे कर पुर्जी बनाने वाले अधिकारी अपनी मनमानी पर किसानों को अलग से लूट रहे हैं। इस धांधली के कारण बहुत से किसानों के खेत से इस वर्ष एक गाड़ी भी ईख नहीं कटी है। किसानों की तो दोहरी मुसीबत है। एक तो उसे फसल खेत में सूख जाने का डर सता रहा है, दूसरी ओर लोहट आदि कई मिलों में उसके पिछले बकाये का भुगतान नहीं हुआ है नई फसल की कीमत की तो बात ही क्या। यह कैसी बिडम्बना है कि उसे ईख उपजाने के लिये मिला कर्ज तो सूद के कारण बढ़े रहा है पर उसका बकाया न तो भुगतान किया जा रहा है और उन उप पर उसे कोई सूद दिया जाता है। इस पर भी ईख की कीमत रिकवरी दर पर निर्धारित करने का दावा किया जा रहा है, पुरानी, बीमार मशीनों से तथा गन्ने को सूखा कर पैरने से रिकवरी दर कैस बढ़ेगी। अतः सरकार से मांग करता हूं कि कम से कम पूरी फसल की पेराई का प्रबन्ध तो किया ही जाय। उचित कीमत का भुगतान भी शीघ्र कराया जाये।

(v) NEED FOR EFFECTIVE MEASURES FOR LAND SUBSISDENCE IN JHARIA COALFIELDS

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur): Sir, under rule 377, I raise the following matter of public importance.

Due to unscientific mining in Asansol Sub-Division of West Bengal and Dhanbad, Jharia of Bihar, large parts of the above-mentioned places are subsiding. Previous private coal mine owners and the Central Government, after nationalisation of coal mines, violated the mine safety rules. After mining from several hundreds of underground mines, they did not fill up mines by sands according to safety rules. As a result of violation of safety rules, large area of Asansol ub-Division, including thickly populated Raniganj, Barakar and Jharia towns are cracking and large parts of cultivable land of rural area are dangerously subsiding. For this ground-water level is going down; ponds and wells are drying

and causing drinking water problem and famine and agricultural works have come to a halt.

So, thousands and thousands of citizens of Raniganj, Barakar and Jharia towns are passing sleepless nights and lakhs of all sections of kisans of rural area, including SC|STs of Asansol Sub-Division are facing acute economic crisis due to dangerous problem of land subsidence of coal mine area.

Under these circumstances, I would like to impress upon the Central Government and the Minister of Energy to come forward with concrete proposals to save the people of Raniganj, Barakar, Jharia towns and lakhs of rural people of Asansol Sub-Division from the problem of land subsidence and announce in the House in this regard as early as possible.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Jagpal Singh.

श्री जगपालसिंह (हरिद्वार) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं नियम, 377 के अंतर्गत पढ़ने से पहले एक बात आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि पिछले तीन सत्रों से सरकार का यह रुख हो गया है ... (व्यवधान)

It will become meaningless to just read out 377 in the House... **(*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER: It will not be recorded. Whatever he has given in writing will only go on record.

(*Interruptions*)**

PROF. N. G. RANGA: That is a very important point. Let it go on record.

MR. DEPUTY SPEAKER: He has got to read it. (*Interruptions*) Please read it.

श्री जगपाल सिंह : हमारे 377 पर क्या एक्शन सरकार की तरफ से होता है, इसका कम से कम हम को मालूम होना चाहिये । अगर गवर्नमेन्ट की तरफ से कोई जवाब नहीं आये तो क्या फायदा है ? अगर सरकार की तरफ से कोई एक्शन न हो तो क्या फायदा है ?

MR. DEPUTY SPEAKER: I think, action is taken.

SOME HON. MEMBERS: No, no.

MR. DEPUTY SPEAKER: I think, a reply is sent by the Government.

SOME HON. MEMBERS: No, no, no reply is sent.

SHRI JAGPAL SINGH: I want an assurance from the Minister of Parliamentary Affairs.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH): Note is taken. Whosoever is present on behalf of the Government also communicates to the people concerned, whether it is the State Government or the Central Government. We have been communicating to the hon. Members.

SOME HON. MEMBERS: No, no.

SHRI BUTA SINGH: I will check up. Definitely, as directed by you yesterday and also today, we will see that a communication is sent to the hon. Members. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is how you spoil the situation. A point was raised to which the Government replied.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: When we raise the special mention under rule 377 in the House, it becomes the property of the House. The Government should answer in the House.

**Not recorded.